उद्‌भव

अभिसमय और अब प्रत्येक देश की राजकोषीय नीति की विशिष्टताओं से उद्‌भूत सीमा शुल्क उद्‌ग्रहणों और कानूनों का प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निर्णायक स्थान हो गया है । अतः सीमा शुल्क कानून के महत्त्व को ज़्यादा बल नहीं दिया जा सकता, वे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही संसाधनों को विनियमित करने, तस्करी के खतरे को रोकने और हमारे मामले में हमारी समग्र आर्थिक नीति के प्रबल साधन के अतिरिक्त राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करने का प्रयास भी करते हैं । कस्टम अधिकारी की प्रवेश और निर्गम बिंदु पर अपनी तैनाती के कारण देश के आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर अपराधों के व्यापक प्रभाव को विफल करने के लिहाज से अनोखी स्थिति है । फिर भी, उसको सौंपी गई कार्य-प्राथमिकताओं में देश की आर्थिक उन्नति के स्तर के अनुसार महत्त्वपूर्ण बदलाव होते रहते हैं ।

इन परिस्थितियों में, आर्थिक कानूनों के उल्लंघनों से निबटने हेतु उनके विवरणों के अबाध और संगठित नीति से संचयन हेतु और संबंधित सीमा शुल्क संगठनों को सचेत करने हेतु कार्यनीति बनाने के लिए वर्ष 1953 के आरंभ में ही एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई थी । परिणामतः केंद्रीय राजस्व आसूचना ब्यूरो नामक संगठन का गठन 1953 में हुआ और इस संगठन को पूरे देश में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संघटनों में तस्करीनिरोध तथा भ्रष्टाचारनिरोध से सम्बन्धित विषयों पर आसूचना विकसित करने का दायित्व सौंपा गया । इसे ध्यान में रखते हुए, उस समय किए गए प्रावधान के अनुसार एक सहायक आयुक्त और दो अधीक्षक नियुक्त किए गए जो कार्य-दृष्टि से बहुत कम स्टाफ था । इस छोटे से संगठन के कार्य ने राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन के खतरों से निबटने के लिए एक अनन्य संगठन की महती आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया । इस प्रकार इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1957 में राजस्व आसूचना निदेशालय की स्थापना हुई ।

राजस्व आसूचना निदेशालय का मूल स्वरूप व्यापक था । उस समय केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन या स्वापक द्रव्य के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए कोई अलग संगठन नहीं था । इस प्रकार, उस समय राआनि का चार्टर जैसा था, उसमें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से सम्बन्धित कार्य के सभी पहलू समाहित थे, जिसके लिए केंद्र से नियंत्रण, निदेशन और अन्वेषण अपेक्षित था ।

समयक्रम और ऐसे विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के प्रभावी नियंत्रण से सम्बन्धित समस्याओं में वृद्धि के साथ विशिष्टीकरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता महसूस की गई । परिणामतः 1978 में अलग से अपवंचन-निरोध-निदेशालय (अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय) का सृजन केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों के उल्लंघन से निबटने और 1985 में केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का सृजन राजस्व विभाग की विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच गतिविधियों के समन्वयन के लिए किया गया । स्वापक द्रव्यों के बढ़ते अवैध व्यापार-विस्तार और इस समस्या के मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत विभिन्न अभिसमयों (समझौतों) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को

ध्यान में रखते हुए 1986 में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो स्वापक निरोधी कानूनों के प्रवर्त्तन को समन्वित करने के लिए अस्तित्व में आया ।

राजस्व आसूचना निदेशालय अपने वर्तमान स्वरूप में कम कार्मिकों वाला एक छोटा संगठन है और सीमा शुल्क कानूनों और कुछ हद तक नारकोटिक्स-निरोधी कानूनों के उल्लंघन से सम्बन्धित आसूचनाओं का संचयन, उनका विश्लेषण, मिलान, निर्वचन और प्रसारण इसके मुख्य कार्य हैं । अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए भारत में केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, केंदीय जाँच ब्यूरो, तटरक्षक, राज्य पुलिस प्राधिकरणों तथा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी आयुक्तालयों के साथ राजस्व आसूचना निदेशालय गहन सम्पर्क बनाए रखता है । यह विश्व सीमा शुल्क संगठन, ब्रुशेल्स; क्षेत्रीय आसूचना सम्पर्क कार्यालय, टोक्यो; इंटरपोल और विदेशी सीमा शुल्क प्रशासनों से भी सम्पर्क बनाए रखता है ।

राजस्व आसूचना निदेशालय वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है । इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक इसके प्रधान है; वर्तमान में यह सात अंचलों में विभाजित है और इनमें से प्रत्येक अंचल अपर महानिदेशक के प्रभार में है, इसके आगे इसके क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय, आसूचना एकक हैं जहाँ अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी और आसूचना अधिकारी तैनात हैं ।

हमारे देश की थल सीमा का विस्तार 15000 किलोमीटर से अधिक है और जल सीमा का विस्तार 7,000 किलोमीटर से अधिक, और ये राजस्व आसूचना निदेशालय के समक्ष बड़ी चुनौती पेश करते हैं । व्यापार सरलीकरण के बढ़ते हुए महत्त्व के साथ प्रगामी आर्थिक उदारता के कारण सहूलियतों / रियायतों में भारी वृद्धि हुई है और फलतः सीमा शुल्क तथा विदेशी मुद्रा की हानि हुई है । आर्थिक धोखाधड़ी का स्वरूप भी नाटकीय रूप से बदल रहा है । ऐसे वातावरण में प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी को सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे और सरलीकरण -- उदारतावाद हेतु नैसर्गिक उपसाध्य -- और प्रवर्त्तन--देश के आर्थिक हित के लिए आवश्यक रक्षोपाय के बीच संतुलन बनाए रखना होगा । 11 सितंबर और 13 दिसंबर की घटनाओं के कारण भी अग्रिम मोर्चे पर सुरक्षा के उठ रहे मुद्दे के साथ सीमा शुल्क की भविष्य की भूमिका में बदलाव आया है । इस निदेशालय ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इसका विश्वास है कि इसे अपने मिशन में अधिकतर सफलता ही मिली है ।